रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022021-225309
CG-DL-E-20022021-225309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
No. 719] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

का.आ. 787(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1959(अ), तारीख 15 जून, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 15 जून, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किया गया था;

और, यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य 96.3691 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला के बीलगी तालुका एवं मुधोल तालुका में स्थित है और उत्तर अक्षांश 16.300384° उ से 75.587866° पू और देशांतर 16.350125° उ से 75.440291° पू के बीच स्थित है और क्षेत्र को यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की अधिसूचना कर्नाटक सरकार की अधिसूचना संख्या एफईई 204 एफडब्ल्यूएल 2015, बैंगलुरू, तारीख 23 दिसम्बर, 2015 को जारी की गई थी;

और, यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य में बागलकोट जिला के बीलगी तालुक के अमलाजरी, यदहल्ली, गुलाबल, तेग्गी, बीसनल, बीलगी, सूनग, जानामट्टी और अरकेरी ग्रामों और मुधोल तालुक के हालागली, मेल्लीगेरी और

किशोरी ग्रामों के रिज़र्व वन शामिल हैं और अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 96.3691 हेक्टेयर है। अभयारण्य की सीमा उक्त ग्रामों के रिज़र्व वनों की सीमाओं के साथ जाती है;

और, अभयारण्य में अभिलिखित किया गया है कि झाड़ियों की सुन्दर मोज़ेक, घासभूमि और चट्टानी पैंचों के साथ वन संकटग्रस्त लुप्तप्राय भेड़ियों, सियार, जंगली बिल्ली, स्ट्रिप्ड लकड़बग्घा, सीवेट बिल्ली और अन्य स्तनधारियों, सरीसृपों की विभिन्न किस्मों और पक्षियों की 173 प्रजातियों, सरीसृपों की 16 प्रजातियों, स्तनधारियों की 9 प्रजातियों के लिए वास है। झाड़ी वनों में माशवाल *(क्लोरोक्सिलीन स्वेन्टेनिया)*, तुगली *(अल्बिजिया अमारा),* हेल या हालगट्टी *(राइटिया टिनक्टोरिया),* डिंडाल *(एनोगेइसस लतिफोलिया)*, खैर (*अकैशिया कटेचु),* कारी जाली (*अकैशिया निलोटिका*), बंडाट्टी (*मुंडुलेया सुबेरोसा*), बेवउ *(अजादिराचटा इंडिका)*, संडाल (*संतालुम एल्बम*), फिकस स्पी., तुमरी (*डिओसपयरोस मेलानोक्सिलोन*), ज़िज़िफस स्पा, सिरसाला *(एल्बिजिया लेब्बक)*, आदि आते है;

और, यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों में बोनट मकाक (*मकाका राडिअटा*), सामान्य लंगूर (*सेमनोपिथेकस इन्तेल्लुस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्घूस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चाउस*), छोटा भारतीय सिवेट (*विवेर्रिकुला इंडिका*), सामान्य नेवला (*हर्पस्टेस)*, धारीधार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), भेड़िया (*केनिस लुपुस*), सियार (*केनिस ऑरेउस*), भारतीय लोमड़ी *(वुल्पेस बेंगालेंसिस)*, छोटा भारतीय ओट्टर (*लुतरोगाले पेरसपिकिल्लाटा*), भारतीय फ्लाइंग लोमड़ी (*पटेरोपुस गिगांटेउस),* भारतीय पिपिस्ट्रेले (*पिपिस्ट्रेल्लुस कोरोमांड्रा*), धारीधार गिलहरी (*फुनाम्बुलुस पाल्मारूम),* भारतीय साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका*), ब्लैक नेपड खरगोश *(लेपुस निगरिकोल्लिस),* चिंकारा (*गजेल्ला बेन्नेट्टी*), भारतीय जंगली सुअर (*सस स्क्रोफ़ा*), भारतीय छिपकली पैंगोलिन (*मानिस क्रॉसिसौडाटा*), आदि शामिल है;

और, यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों में येलो थ्रोटेड बुलबुल, व्हाइट विंग्ड ब्लैक टिट छोटा ग्रेबे, ग्रे पेलिकन, ग्रे बगुला,पोन्ड बगुला, मवेशी बगुला, बगुल आदि शामिल है और अभयारण्य में सरीसृपों जैसे स्पेक्टेकल्ड कोबरा, सांप, स्किंक ब्राह्मणी स्किंक, फांथरोटेड लिर्जाड, सामान्य गार्डन लिर्जाड, पेनिन्सुलर रॉक अगामा, टेरमिते हिल गेक्को, दक्षिणी हाउस गेक्को, आदि की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं;

और, यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला के यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से एक किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 100 मीटर से एक किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 70.72 वर्ग किलोमीटर है।

(2) यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करते हुए यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख** और **उपाबंध-II ग** के रूप में संलग्न है।

(4) यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और

राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस

अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत गृहवास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतो (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**– पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधि को आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधि के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों जिसके अंतर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित है तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को

		अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	प्रतिषिद्ध।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी,

		समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में गृह वास भी है सहायक हो; और (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप: परंतु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।

	संचलन ।	
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक सूचना पट्ट और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकरण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पदनाम
(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, बेलगावी क्षेत्र, बेलगावी	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	कर्नाटक सरकार द्वारा प्रकृति संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	प्रादेशिक अधिकारी, बागलकोट, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vi)	कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि बागलकोट जिला, बागलकोट	सदस्य;
(viii)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, बागलकोट	सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक, बागलकोट संभाग, बागलकोट	सदस्य-सचिव

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, बशर्ते समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/7/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

कर्नाटक में यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:	यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवदी जोन की सीमा अभयारण्य सीमा के बाहरी मुख्य बिंदुओं के 1 किलोमीटर समांनातर दूरी में क्रमश: भू-निर्देशांक उ 16 23 14.67 पू 075 23 38.86 के साथ मुधोल और बीलगी तालुकों की तालुक सीमा पर मंतुरा और अमलाजरी ग्राम सीमा पर मुख्य बिंदु से आरंभ होती है, भू-निर्देशांको उ 16 23 24.14 पू 075 24 04.94, उ 16 23 32.27 पू 75 24 27.32, उ 16 23 39.47 पू 75 25 1.29, उ 16 23 47.26 पू 75 25 37.73, उ 16 23 59.07 पू 75 26 46.41, उ 16 24 0.90 पू 75 27 13.19, उ 16 24 38.17 पू 75 28 15.67, उ 16 23 32.27 पू 75 29 23.65, उ 16 23 36.73 पू 075 29 56.98, उ 16 23 9.38 पू 075 29 58.18, उ 16 22 17.97 पू 075 29 40.17, उ 16 21 51.60 पू 075 30 21.08, उ 16 21 55.08 पू 075 31 16.46, उ 16 21 45.16 पू 075 32 29.48, उ 16 20 24.55 पू 075 32 52.79, उ 16 20 28.83 पू 075 34 32.74, उ 16 20 23.77 पू 075 35 5.69, उ 16 20 59.50 पू 075 35 44.47 से होते हुए जाती है यह अमलाजरी, यदहल्ली,गालागली, गुलाबाला, बूदीहाला एस.जी., बिस्नाला, थेग्गी, सीद्दापुरा, नगराला और बीलगी ग्रामों से होते हुए भू-निर्देशांक उ 16 21 1.66 पू 075 36 45.5 के साथ बीलगी ग्राम पर बिंदु पहुंचती है।
पूर्व:	उपर्युक्त बिंदु से सीमा रेखा दक्षिण की ओर जाती है और इसके बाद भू-निर्देशांकों उ 16 20 36.38 पू 075 36 46.04, उ 16 20 35.89 पू 075 37 11.24, उ 16 20 18.20 पू 075 38 11.31, उ 16 19 37.32 पू 075 38 10.13, उ 16 19 25.95 पू 075 38 8.58, उ 16 19 23.90 पू 075 38 19.84, उ 16 19 2.92 पू 075 38 14.97, उ 16 18 55.12 पू 075 37 54.63 से होते हुए बीलगी ग्राम से पूर्व की ओर जाती है और भू-निर्देशांकों उ 16 21 1.53 पू 076 36 44.90, उ 16 20 58.13 पू 075 36 45.26, उ 16 20 57.18 पू 075 36 47.67, उ 16 20 48.49 पू 075 36 46.39, उ 16 20 36.38 पू 075 36 46.04, उ 16 20 37.16 पू 075 36.52.96 उ 16 20 34.94 पू 075 36 59.14, उ 16 20 34.32 पू 075 36 59.35, उ 16 20 35.68 पू 075 37 6.26, उ 20 35.19 पू 075 37 9.96, उ 16 20 36.23 पू 075 37 12.96, उ 16 20 32.68 पू 075 37 12.95, उ 16 20 32.86 पू 075 37 19.70, उ 16 20 33.93 पू 075 37 21.51, उ 16 20 33.97 पू 075 37 34.11, उ 16 20 29.61 पू 075 37 45.03, उ 16 20 25.51 पू 075 37 53.82, उ 16 20 18.15 पू 075 38 10.77, उ 16 19 57.90 पू 075 38 21.99, उ 16 19 43.50 पू 075 38 13.43, उ 16 19 37.32 पू 075 38 8.58, उ 16 19 41.33 पू 075 38 11.92, उ 16 19 23.90 पू 75 38 19.84 से होते हुए जाती है यह अभयारण्य सीमा से बाहरी मुख्य बिंदु के 100 मीटर समानांतर दूरी में बादागंदी और मन्नीकेरी ग्रामों से होते हुए भू-निर्देशांक उ 16 19 3.92 पू 075 38 14.97 के साथ जाती है।
दक्षिण:	उपर्युक्त बिंदु से रेखा भू-निर्देशांको उ 16 18 53.40 पू 075 37 21.96, उ 16 18 25.25 पू 075 36 48.40, उ 16 18 11.73 पू 075 36 31.05, उ 16 17 41.02 पू 075 35 38.26 उ 16 17 49.33 पू 075 34 43.18, उ 16 17 55.79 पू 075 33 47.53, उ 16 17 21.66 पू 075 33 5.09, उ 16 17 47.79 पू 075 32 17.60, उ 16 18 6.46 पू 075 30 55.39, उ 16 18 46.76 पू 075 28 55.02, उ 16 19 27.69 पू 075 28 14.70, उ 16 20 32.28 पू 075 26 10.72 से होते हुए अभयारण्य सीमा से बाहरी मुख्य बिंदुओं के 1 किलोमीटर समानांतर दूरी में पश्चिम की ओरजाती है यह सूनागा, कोवल्ली, बवलाथी, कुंदरागी, जानामट्टी, अराकेरी, हालागेली और मेल्लीगेरी ग्रामों से होते हुए मेल्लीगेरी ग्राम पर भू-निर्देशांक उ 16 20 53.40 पू 075 25 37.42 के साथ जाती है।
पश्चिम:	उपर्युक्त बिंदु से रेखा भू-निर्देशांक उ 16 21 35.45 पू 075 24 16.85, उ 16 22 12.44 पू 075 23 35.52 से होते हुए अभयारण्य सीमा के बाहरी बिंदुओं से होते हुए जाती है यह अभयारण्य सीमा के 1 किलोमीटर समानांतर दूरी में मेल्लीगेरी, किशोरी और मंतुरा ग्रामों से होते हुए भू-निर्देशांक उ 16 23 14.67 पू 075 23 38.86 के साथ बिंदु पहुंचती है, यह बागलकोट जिला के मुधोल और बीलगी तालुकों की सीमा पर आरंभिक बिंदु पहुंचती है।

उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

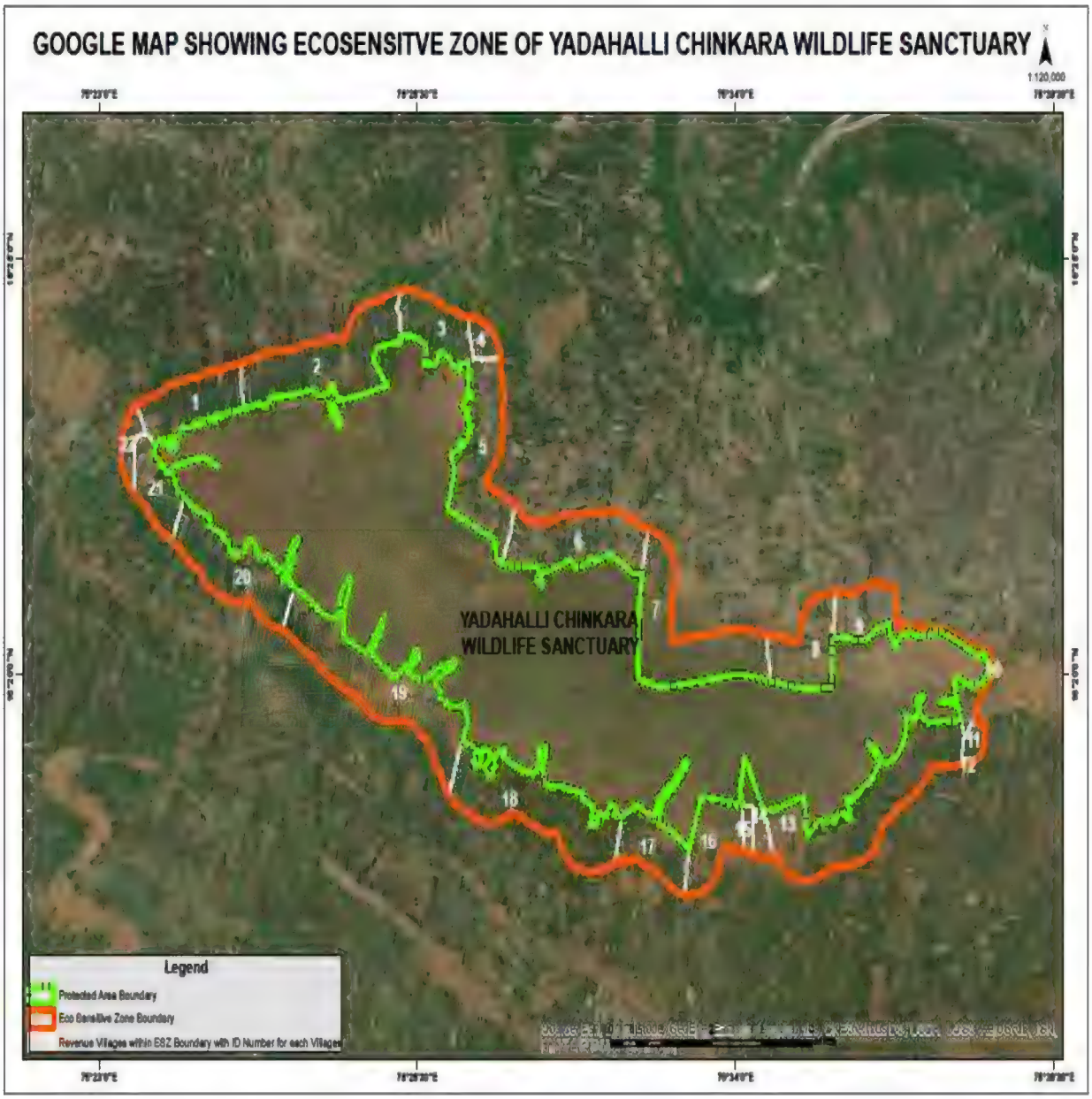

उपाबंध – IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

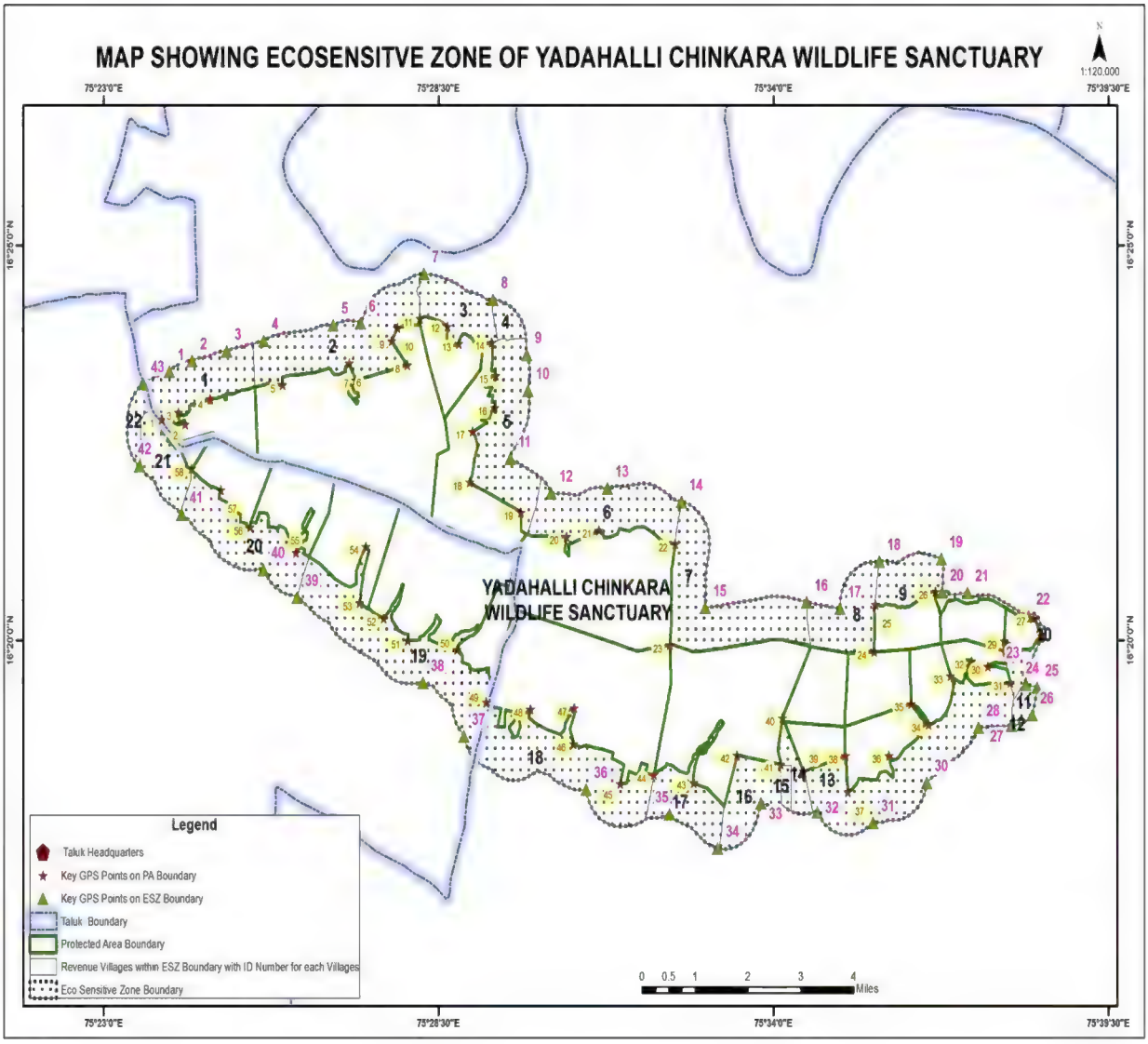

उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

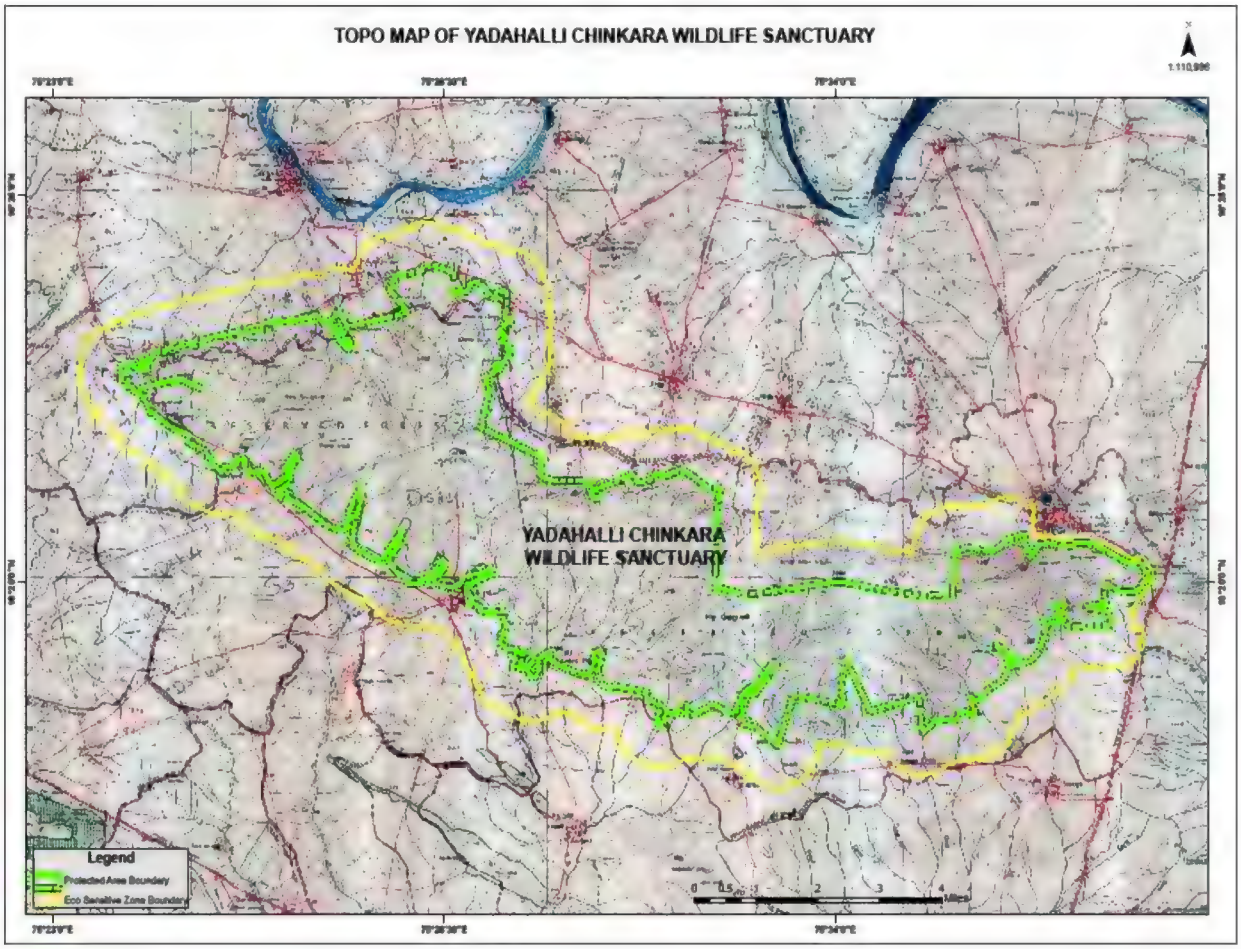

उपाबंध-III

सारणी क: यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

मानचित्र आईडी	अक्षांश (उ)			देशांतर (पू)		
	डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	16	22	47.41	75	23	57.29
2	16	22	44.01	75	24	20.35
3	16	22	52.76	75	24	13.86
4	16	23	2.94	75	24	45.00
5	16	23	13.70	75	25	56.25
6	16	23	30.21	75	27	1.97
7	16	23	17.34	75	27	8.41
8	16	23	`28.78	75	27	59.20

9	16	23	46.94	75	27	43.64
10	16	23	57.33	75	27	49.20
11	16	24	3.98	75	28	11.68
12	16	23	58.30	75	28	38.60
13	16	23	44.96	75	28	49.83
14	16	23	46.04	75	29	22.55
15	16	23	20.80	75	29	26.20
16	16	22	56.34	75	29	25.42
17	16	22	38.33	75	29	3.31
18	16	21	59.71	75	29	0.56
19	16	21	36.95	75	29	50.98
20	16	21	18.51	75	30	36.04
21	16	21	23.34	75	31	8.05
22	16	21	12.97	75	32	23.11
23	16	19	56.09	75	32	17.97
24	16	19	51.02	75	35	38.99
25	16	20	26.86	75	35	40.33
26	16	20	36.75	75	36	39.47
27	16	20	16.68	75	38	15.94
28	16	20	3.04	75	38	24.37
29	16	19	59.04	75	37	47.31
30	16	19	39.84	75	37	31.29
31	16	19	27.69	75	37	53.10
32	16	19	43.74	75	37	15.03
33	16	19	32.66	75	36	54.41
34	16	18	55.75	75	36	32.71
35	16	19	11.59	75	36	15.59
36	16	18	32.07	75	35	53.62
37	16	18	4.31	75	35	13.10
38	16	18	31.91	75	35	10.76
39	16	18	20.12	75	34	29.61
40	16	19	0.71	75	34	8.81
41	16	18	25.62	75	34	7.22
42	16	18	32.53	75	33	24.18
43	16	18	11.24	75	32	41.13
44	16	18	17.52	75	32	2.22

45	16	18	10.65	75	31	28.80
46	16	18	41.08	75	30	42.89
47	16	19	8.05	75	30	43.76
48	16	19	7.32	75	30	0.54
49	16	19	12.65	75	29	16.76
50	16	19	52.55	75	28	48.25
51	16	19	59.40	75	27	59.71
52	16	20	16.27	75	27	35.76
53	16	20	28.23	75	27	12.18
54	16	21	10.89	75	27	18.58
55	16	21	6.15	75	26	9.52
56	16	21	25.50	75	25	24.51
57	16	21	54.00	75	24	55.31
58	16	22	10.07	75	24	26.56

ख. यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य बिंदु के भू-निर्देशांक

मानचित्र आईडी	अक्षांश (उ)			देशांतर (पू)		
1	16	23	24.14	75	24	4.94
2	16	23	32.27	75	24	27.32
3	16	23	39.47	75	25	1.29
4	16	23	47.26	75	25	37.73
5	16	23	59.07	75	26	46.41
6	16	24	0.90	75	27	13.19
7	16	24	38.17	75	28	15.67
8	16	23	32.27	75	29	23.65
9	16	23	36.73	75	29	56.98
10	16	23	9.38	75	29	58.18
11	16	22	17.97	75	29	40.71
12	16	21	51.60	75	30	21.08
13	16	21	55.08	75	31	16.46
14	16	21	45.16	75	32	29.48
15	16	20	24.55	75	32	52.79
16	16	20	28.83	75	34	32.74
17	16	20	23.77	75	35	5.69
18	16	20	59.50	75	35	44.47
19	16	21	1.66	75	36	45.54

20	16	20	36.38	75	36	46.04
21	16	20	35.89	75	37	11.24
22	16	20	18.20	75	38	11.31
23	16	19	37.32	75	38	10.13
24	16	19	25.95	75	38	8.58
25	16	19	23.90	75	38	19.84
26	16	19	2.92	75	38	14.97
27	16	18	55.12	75	37	54.63
28	16	18	53.40	75	37	21.96
29	16	18	25.25	75	36	48.40
30	16	18	11.73	75	36	31.05
31	16	17	41.02	75	35	38.26
32	16	17	49.33	75	34	43.18
33	16	17	55.79	75	33	47.53
34	16	17	21.66	75	33	5.09
35	16	17	47.79	75	32	17.60
36	16	18	6.46	75	30	55.39
37	16	18	46.76	75	28	55.02
38	16	19	27.69	75	28	14.70
39	16	20	32.28	75	26	10.72
40	16	20	53.40	75	25	37.42
41	16	21	35.45	75	24	16.85
42	16	22	12.44	75	23	35.52
43	16	23	14.67	75	23	38.86

उपाबंध-IV

यदहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आईडी	**ग्राम नाम**	**तालुक**	**जिला**	**क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**अक्षांश (उ)**			***देशांतर (पू)***		
1	अमलाझरी	बिलागी	बागलकोट	328.57	16	23	16.11	75	24	36.03
2	यदहल्ली	बिलागी	बागलकोट	614.55	16	23	47.19	75	26	56.43
3	गुलाबाला	बिलागी	बागलकोट	249.84	16	24	10.33	75	28	48.38
4	बूदीहाला एस.जी	बिलागी	बागलकोट	64.47	16	24	1.57	75	29	37.72
5	बिस्नाला	बिलागी	बागलकोट	505.88	16	22	37.40	75	29	37.42
6	थेग्गी	बिलागी	बागलकोट	460.62	16	21	36.67	75	31	14.25
7	सिद्दापुरा	बिलागी	बागलकोट	619.25	16	20	29.55	75	33	9.17

8	नगराला	बिलागी	बागलकोट	290.79	16	20	18.81	75	35	12.94
9	बीलगी	बिलागी	बागलकोट	311.52	16	20	28.80	75	36	47.53
10	बादागंदी	बिलागी	बागलकोट	2.65	16	20	3.64	75	38	25.56
11	मन्नीकेरी	बिलागी	बागलकोट	47.32	16	19	12.28	75	38	6.90
12	थुम्मारामात्ति	बिलागी	बागलकोट	3.29	16	18	57.53	75	37	59.81
13	सूनागा	बिलागी	बागलकोट	797.70	16	18	27.97	75	36	13.59
14	कोवल्ली	बिलागी	बागलकोट	94.11	16	18	17.85	75	34	20.77
15	बवलाथी	बिलागी	बागलकोट	29.58	16	18	8.72	75	34	12.32
16	कुंदरागी	बिलागी	बागलकोट	247.31	16	17	59.75	75	33	35.47
17	जानामट्टी	बिलागी	बागलकोट	268.26	16	17	59.91	75	32	36.71
18	अराकेरी	बिलागी	बागलकोट	670.95	16	18	25.02	75	30	32.34
19	हालागेरी	मुधोल	बागलकोट	742.77	16	19	55.73	75	27	51.08
20	मेल्लीगेरी	मुधोल	बागलकोट	449.93	16	21	17.48	75	25	19.85
21	किशोरी	मुधोल	बागलकोट	202.33	16	22	15.52	75	23	59.02
22	मंतुरा	मुधोल	बागलकोट	70.88	16	22	46.15	75	23	33.01
				7072.57 (हेक्टेयर)						

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान: पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

S.O. 787(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1959(E), dated the 15th June, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 15th June, 2020;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, the Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary having an area of 96.3691 square kilometers is situated in Bilagi taluka and Mudhol taluka of Bagalakot district of Karnataka State and lies between the 16.300384° N latitude to 75.587866° E longitude and 16.350125° N latitude to 75.440291°E longitude and the notification to declare the area as Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary was issued *vide* Government of Karnataka notification No. FEE 204 FWL 2015, Bengaluru, dated the 23rd December, 2015;

AND WHEREAS, the Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary includes the Reserve Forests of villages of Amalazari, Yadahalli, Gulabal, Teggi, Bisanal, Bilagi, Sunag, Janamatti and Arakeri villages of Bilagi taluk and Halagali, Melligeri and Kishori villages of Mudhol taluk of Bagalkot district and the total area of the Sanctuary is 96.3691 square kilometers. The boundary of the Sanctuary runs along the boundaries of the Reserve forests of the said villages;

AND WHEREAS, the forests with beautiful mosaic of scrubs, grass lands and rocky patches are the habitat for critically endangered wolves, jackals, wild cats, striped hyenas, civet cats and variety of other mammals, reptiles and 173 species of birds, 16 species of reptiles, 9 species of mammals, have been recorded in the Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary. Scrub forests are dominated with Mashwal (*Chloroxylon swietenia*), Tugli (*Albizia amara*), Hale or Halgatti (*wrightia tinctoria*), Dindal (*Anogeissus latifolia*), Khair (*Acacia catechu*), Kari Jali (*Acacia nilotica*), Bandatti (*Mundulea suberosa*), Bevu (*Azadirachta indica*), Sandal (*Santalum album*), *Ficus* spp., Tumri (*Diospyros melanoxylon*), *Ziziphus* spp., Sirasal (*Albizia lebbeck*), etc.;

AND WHEREAS, mammals in the Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary includes bonnet macaque (*Macaca radiata*), common langur (*Semnopithecus entellus*), leopard, (*Panthera pardus*), jungle cat (*Felis chaus*), small Indian civet (*Viverricula indica*), common mongoose (*Herpestidae*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), wolf (*Canis lupus*), jackal (*Canis aureus*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), smooth Indian otter (*Lutrogale perspicillata*), Indian flying fox (*Pteropus giganteus),* Indian pipistrelle (*Pipistrellus coromandra*), striped squirrel (*Funambulus palmarum*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), black-napped hare (*Lepus nigricollis*), chinkara (*Gazella bennettii*), Indian wild boar (*Sus scrofa*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), etc.;

AND WHEREAS, the Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary included various species of birds such as yellow throated bulbul, white winged black tit, little grebe, grey pelican, grey heron, pond heron, cattle egret, egrets etc., and the Sanctuary included various species of reptiles such as, spectacled cobra, snake, skink Brahminy skink, fanthroated lizard, common garden lizard, Peninsular rock agama, termite hill gecko, southern house gecko etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent

varying from 100 meters to one kilometre around the boundary of Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary, in Bagalkot District in the State of Karnataka as the Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 100 meters to one kilometre around the boundary of Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 70.72 square kilometres.

   (2) The boundary description of Eco-sensitive Zone around Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

   (4) The lists of geo-coordinates of the boundary of Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with the local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

      (i) Environment;

      (ii) Forest and Wildlife;

      (iii) Agriculture;

      (iv) Revenue;

      (v) Urban Development;

      (vi) Tourism;

      (vii) Rural Development;

      (viii) Irrigation and Flood Control;

      (ix) Municipal;

      (x) Panchayati Raj;

      (xi) Public Works Department.

   (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

   (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by the State Government**.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and the other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and the other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid wastes disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Wastes Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Wastes.– Bio-Medical Wastes Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Wastes disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Wastes Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic wastes management.- The plastic wastes management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Wastes Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition wastes management.- The construction and demolition wastes management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Wastes Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-wastes.- The e - wastes management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Wastes Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Prohibited.
7.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
10.	New wood based industry.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities given in paragraph 4: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.

18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management or Bio-medical waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The Regional Commissioner, Belagavi Region, Belagavi	Chairman, ex officio;
(ii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
(iii)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
(iv)	Representative of Non-governmental Organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
(v)	The Regional Officer, Bagalakot, Karnataka State Pollution Control Board	Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
(vii)	Deputy Commissioner or his representative Bagalakot District, Bagalakot	Member;
(viii)	The Chief Executive Officer, Zilla Panchayath, Bagalakot	Member;
(ix)	The Deputy Conservator of Forests, Bagalakot Division, Bagalakot	Member Secretary

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/7/2020-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND YADAHALLI CHINKARA WILDLIFE SANCTUARY IN KARNATAKA

North:	The boundary of the Eco-sensitive Zone around Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary starts at a common point on the Mantura and Amalajari village boundary on the Taluk boundary of Mudhol and Bilagi Taluks respectively with geo co-ordinates N 16 23 14.67 E 075 23 38.86 at a distance of 1 Km parallel to the outermost points of the Sanctuary boundary through the geo co-ordinates N 16 23 24.14 E 075 24 04.94, N 16 23 32.27 E 75 24 27.32, N 16 23 39.47 E 75 25 1.29, N 16 23 47.26 E 75 25 37.73, N 16 23 59.07 E 75 26 46.41, N 16 24 0.90 E 75 27 13.19, N 16 24 38.17 E 75 28 15.67, N 16 23 32.27 E 75 29 23.65, N 16 23 36.73 E 075 29 56.98, N 16 23 9.38 E 075 29 58.18, N 16 22 17.97 E 075 29 40.17, N 16 21 51.60 E 075 30 21.08, N 16 21 55.08 E 075 31 16.46, N 16 21 45.16 E 075 32 29.48, N 16 20 24.55 E 075 32 52.79, N 16 20 28.83 E 075 34 32.74, N 16 20 23.77 E 075 35 5.69, N 16 20 59.50 E 075 35 44.47 till it reaches a point on the Bilagi village with geo co-ordinates N 16 21 1.66 E 075 36 45.5 passing through the Amalajari, Yadahalli, Galagali, Gulabala, Boodihala S.G, Bisnala, Theggi, Siddapura, Nagarala and Bilagi villages.
East:	From the above point the boundary line runs southwards and then eastwards through the Bilagi village through the geo co-ordinates N 16 20 36.38 E 075 36 46.04, N 16 20 35.89 E 075 37 11.24, N 16 20 18.20 E 075 38 11.31, N 16 19 37.32 E 075 38 10.13, N 16 19 25.95 E 075 38 8.58, N 16 19 23.90 E 075 38 19.84, N 16 19 2.92 E 075 38 14.97, N 16 18 55.12 E 075 37 54.63 and through the geo co-ordinates N 16 21 1.53 E 076 36 44.90, N 16 20 58.13 E 075 36 45.26, N 16 20 57.18 E 075 36 47.67, N 16 20 48.49 E 075 36 46.39, N 16 20 36.38 E 075 36 46.04, N 16 20 37.16 E 075 36.52.96 N 16 20 34.94 E 075 36 59.14, N 16 20 34.32 E 075 36 59.35, N 16 20 35.68 E 075 37 6.26, N 20 35.19 E 075 37 9.96, N 16 20 36.23 E 075 37 12.96, N 16 20 32.68 E 075 37 12.95, N 16 20 32.86 E 075 37 19.70, N 16 20 33.93 E 075 37 21.51, N 16 20 33.97 E 075 37 34.11, N 16 20 29.61 E 075 37 45.03, N 16 20 25.51 E 075 37 53.82, N 16 20 18.15 E 075 38 10.77, N 16 19 57.90 E 075 38 21.99, N 16 19 43.50 E 075 38 13.43, N 16 19 37.32 E 075 38 8.58, N 16 19 41.33 E 075 38 11.92, N 16 19 23.90 E 75 38 19.84 till it reaches the point with geo co-ordinates N 16 19 3.92 E 075 38 14.97 passing through the Badagandi and Mannikeri villages at a distance of 100 meters parallel to the outermost points from the Sanctuary boundary.
South:	From the above point the line runs westwards at a distance of 1 Km parallel to the outermost points from the Sanctuary boundary through the geo co-ordinates N 16 18 53.40 E 075 37 21.96, N 16 18 25.25 E 075 36 48.40, N 16 18 11.73 E 075 36 31.05, N 16 17 41.02 E 075 35 38.26 N 16 17 49.33 E 075 34 43.18, N 16 17 55.79 E 075 33 47.53, N 16 17 21.66 E 075 33 5.09, N 16 17 47.79 E 075 32 17.60, N 16 18 6.46 E 075 30 55.39, N 16 18 46.76 E 075 28 55.02, N 16 19 27.69 E 075 28 14.70, N 16 20 32.28 E 075 26 10.72 till reaches a point with geo co-ordinates N 16 20 53.40 E 075 25 37.42 on the Melligeri village passing through the Sunaga, Kovalli, Bavalathi, Kundaragi, Janamatti, Arakeri, Halagali and Melligeri villages.
East:	From the above point the line runs outermost points of the Sanctuary boundary through the geo co-ordinates N 16 21 35.45 E 075 24 16.85, N 16 22 12.44 E 075 23 35.52 till it reaches a point with geo co-ordinates N 16 23 14.67 E 075 23 38.86 passing through the villages Melligeri, Kishori and Mantura villages at a distance of 1 Km parallel to the Sanctuary boundary to reach the starting point on the boundary of Mudhol and Bilagi Taluks of Bagalkote district.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF YADAHALLI CHINKARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF YADAHALLI CHINKARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

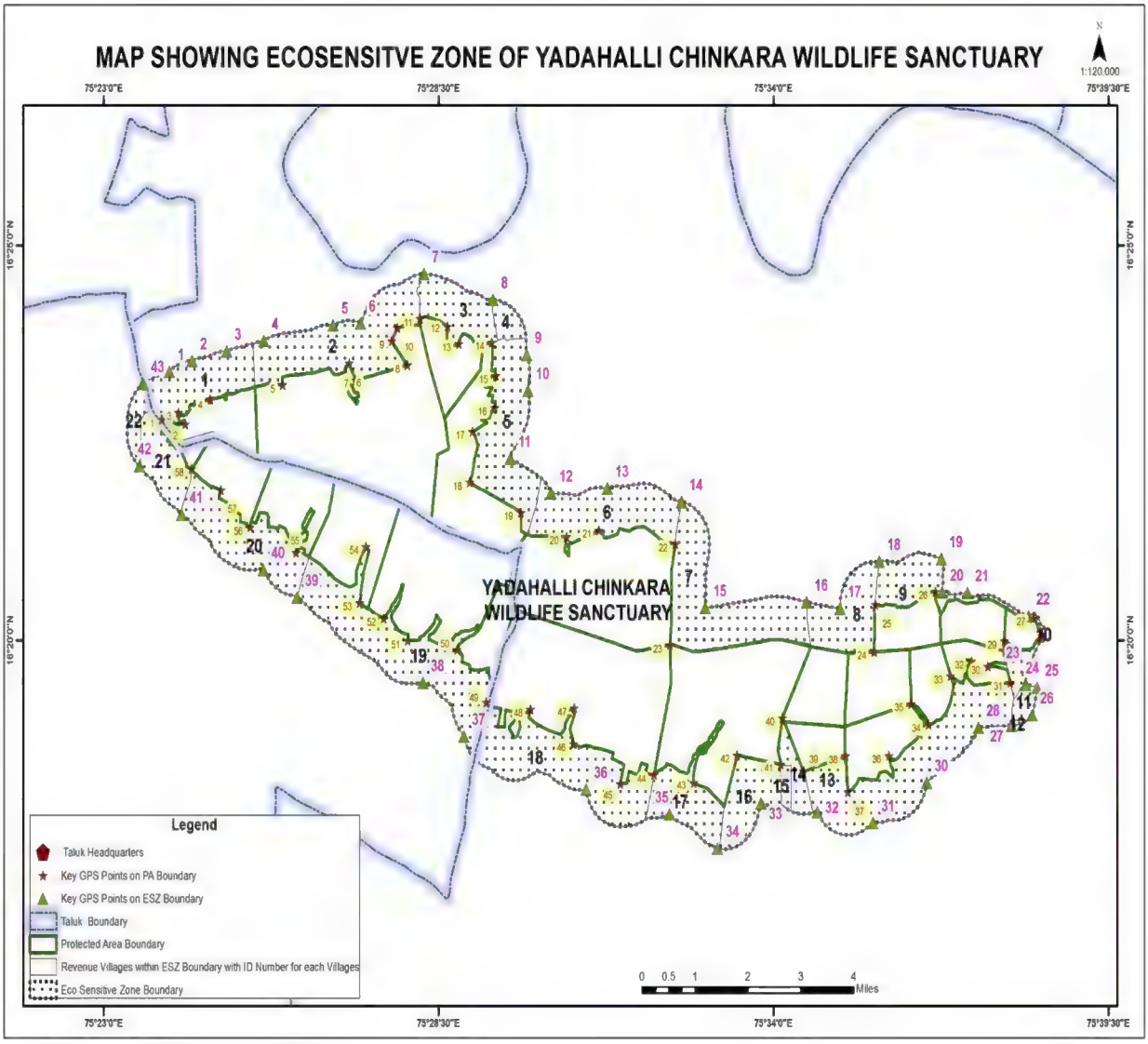

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF YADAHALLI CHINKARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

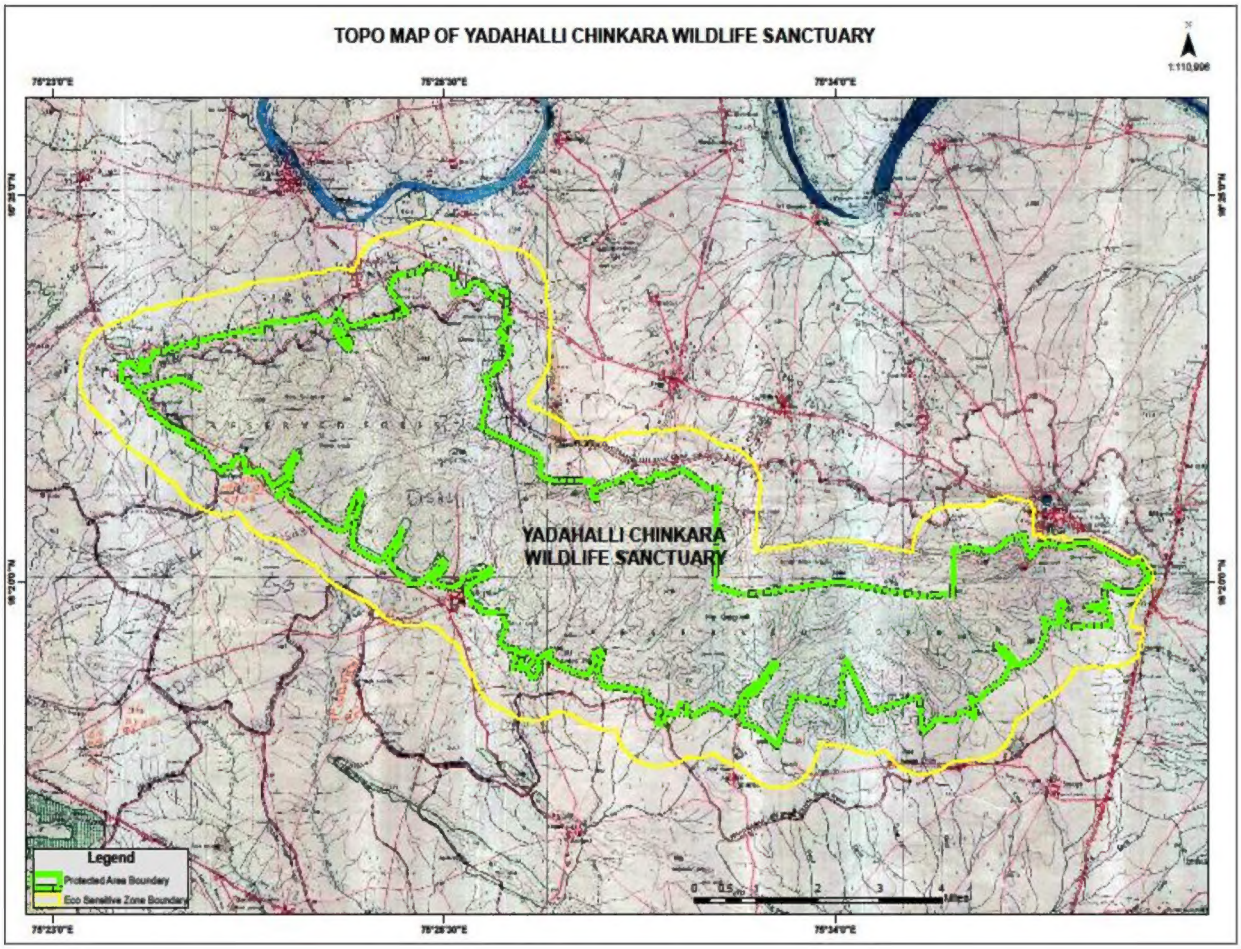

ANNEXURE-III

TABLE A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS OF YADAHALLI CHINKARA WILDLIFE SANCTUARY, KARNATAKA.

Map Id	Latitude (N)			Longitude (E)		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	16	22	47.41	75	23	57.29
2	16	22	44.01	75	24	20.35
3	16	22	52.76	75	24	13.86
4	16	23	2.94	75	24	45.00
5	16	23	13.70	75	25	56.25
6	16	23	30.21	75	27	1.97
7	16	23	17.34	75	27	8.41
8	16	23	`28.78	75	27	59.20
9	16	23	46.94	75	27	43.64

10	16	23	57.33	75	27	49.20
11	16	24	3.98	75	28	11.68
12	16	23	58.30	75	28	38.60
13	16	23	44.96	75	28	49.83
14	16	23	46.04	75	29	22.55
15	16	23	20.80	75	29	26.20
16	16	22	56.34	75	29	25.42
17	16	22	38.33	75	29	3.31
18	16	21	59.71	75	29	0.56
19	16	21	36.95	75	29	50.98
20	16	21	18.51	75	30	36.04
21	16	21	23.34	75	31	8.05
22	16	21	12.97	75	32	23.11
23	16	19	56.09	75	32	17.97
24	16	19	51.02	75	35	38.99
25	16	20	26.86	75	35	40.33
26	16	20	36.75	75	36	39.47
27	16	20	16.68	75	38	15.94
28	16	20	3.04	75	38	24.37
29	16	19	59.04	75	37	47.31
30	16	19	39.84	75	37	31.29
31	16	19	27.69	75	37	53.10
32	16	19	43.74	75	37	15.03
33	16	19	32.66	75	36	54.41
34	16	18	55.75	75	36	32.71
35	16	19	11.59	75	36	15.59
36	16	18	32.07	75	35	53.62
37	16	18	4.31	75	35	13.10
38	16	18	31.91	75	35	10.76
39	16	18	20.12	75	34	29.61
40	16	19	0.71	75	34	8.81
41	16	18	25.62	75	34	7.22
42	16	18	32.53	75	33	24.18
43	16	18	11.24	75	32	41.13
44	16	18	17.52	75	32	2.22
45	16	18	10.65	75	31	28.80
46	16	18	41.08	75	30	42.89
47	16	19	8.05	75	30	43.76
48	16	19	7.32	75	30	0.54
49	16	19	12.65	75	29	16.76
50	16	19	52.55	75	28	48.25
51	16	19	59.40	75	27	59.71
52	16	20	16.27	75	27	35.76
53	16	20	28.23	75	27	12.18
54	16	21	10.89	75	27	18.58

55	16	21	6.15	75	26	9.52
56	16	21	25.50	75	25	24.51
57	16	21	54.00	75	24	55.31
58	16	22	10.07	75	24	26.56

B. GEO CO-ORDINATES OF THE KEY POINTS ON THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF THE YADAHALLI CHINKARA WILDLIFE SANCTUARY

Map ID	Latitude (N)			Longitude (E)		
1	16	23	24.14	75	24	4.94
2	16	23	32.27	75	24	27.32
3	16	23	39.47	75	25	1.29
4	16	23	47.26	75	25	37.73
5	16	23	59.07	75	26	46.41
6	16	24	0.90	75	27	13.19
7	16	24	38.17	75	28	15.67
8	16	23	32.27	75	29	23.65
9	16	23	36.73	75	29	56.98
10	16	23	9.38	75	29	58.18
11	16	22	17.97	75	29	40.71
12	16	21	51.60	75	30	21.08
13	16	21	55.08	75	31	16.46
14	16	21	45.16	75	32	29.48
15	16	20	24.55	75	32	52.79
16	16	20	28.83	75	34	32.74
17	16	20	23.77	75	35	5.69
18	16	20	59.50	75	35	44.47
19	16	21	1.66	75	36	45.54
20	16	20	36.38	75	36	46.04
21	16	20	35.89	75	37	11.24
22	16	20	18.20	75	38	11.31
23	16	19	37.32	75	38	10.13
24	16	19	25.95	75	38	8.58
25	16	19	23.90	75	38	19.84
26	16	19	2.92	75	38	14.97
27	16	18	55.12	75	37	54.63
28	16	18	53.40	75	37	21.96
29	16	18	25.25	75	36	48.40
30	16	18	11.73	75	36	31.05
31	16	17	41.02	75	35	38.26
32	16	17	49.33	75	34	43.18
33	16	17	55.79	75	33	47.53
34	16	17	21.66	75	33	5.09
35	16	17	47.79	75	32	17.60
36	16	18	6.46	75	30	55.39
37	16	18	46.76	75	28	55.02
38	16	19	27.69	75	28	14.70
39	16	20	32.28	75	26	10.72

40	16	20	53.40	75	25	37.42
41	16	21	35.45	75	24	16.85
42	16	22	12.44	75	23	35.52
43	16	23	14.67	75	23	38.86

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING WITH IN THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND YADAHALLI CHINKARA WILDLIFE SANCTUARY

Map Id	Village Name	Taluk	District	Area (Ha.)	Latitude (N)			Longitude (E)		
1	Amalajari	Bilagi	Bagalkot	328.57	16	23	16.11	75	24	36.03
2	Yadahalli	Bilagi	Bagalkot	614.55	16	23	47.19	75	26	56.43
3	Gulabala	Bilagi	Bagalkot	249.84	16	24	10.33	75	28	48.38
4	Boodhihala.S.G	Bilagi	Bagalkot	64.47	16	24	1.57	75	29	37.72
5	Bisanala	Bilagi	Bagalkot	505.88	16	22	37.40	75	29	37.42
6	Theggi	Bilagi	Bagalkot	460.62	16	21	36.67	75	31	14.25
7	Siddapura	Bilagi	Bagalkot	619.25	16	20	29.55	75	33	9.17
8	Nagarala	Bilagi	Bagalkot	290.79	16	20	18.81	75	35	12.94
9	Beelagi	Bilagi	Bagalkot	311.52	16	20	28.80	75	36	47.53
10	Badagandi	Bilagi	Bagalkot	2.65	16	20	3.64	75	38	25.56
11	Mannikeri	Bilagi	Bagalkot	47.32	16	19	12.28	75	38	6.90
12	Thummaramatti	Bilagi	Bagalkot	3.29	16	18	57.53	75	37	59.81
13	Sunaga	Bilagi	Bagalkot	797.70	16	18	27.97	75	36	13.59
14	Kovalli	Bilagi	Bagalkot	94.11	16	18	17.85	75	34	20.77
15	Bavalatthi	Bilagi	Bagalkot	29.58	16	18	8.72	75	34	12.32
16	Kundharagi	Bilagi	Bagalkot	247.31	16	17	59.75	75	33	35.47
17	Janamatti	Bilagi	Bagalkot	268.26	16	17	59.91	75	32	36.71
18	Arakeri	Bilagi	Bagalkot	670.95	16	18	25.02	75	30	32.34
19	Halagali	Mudhol	Bagalkot	742.77	16	19	55.73	75	27	51.08
20	Melligeri	Mudhol	Bagalkot	449.93	16	21	17.48	75	25	19.85
21	Kishori	Mudhol	Bagalkot	202.33	16	22	15.52	75	23	59.02
22	Mantura	Mudhol	Bagalkot	70.88	16	22	46.15	75	23	33.01
				7072.57 (Ha.)						

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise) Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.20 19:10:55 +05'30'